

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्रमांक: प. 7(338)SHAM/PP/2018-19 690

जयपुर दिनांक: 2/01/19

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि नागौर-तरनाऊ-डीडवाना-मुकुन्दगढ़ सड़क परियोजना के लिये भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (केंद्रीय अधिनियम संख्या 30) की धारा 11(1) अन्तर्गत जारी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 25.07.2018 के बारह मास की अवधि में अधिनियम 2013 की धारा 19(1) अन्तर्गत सार एवं घोषणा का प्रकाशन नहीं हो पाया है।

अतः अब अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तृतीय परन्तुक की शक्ति का प्रयोग करते हुए भूमि अर्जित अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लाडनू को नागौर-तरनाऊ-डीडवाना-मुकुन्दगढ़ सड़क परियोजना हेतु उपखण्ड अधिकारी लाडनू के श्रेत्राधिकार के भीतर आने वाली भूमि के अर्जन के लिए धारा 19(1) अन्तर्गत सार एवं घोषणा के प्रकाशन की अवधि को 6 मास के लिए बढ़ाया जाता है।


राज्यपाल के आदेश से


(मुकेश चन्द्र भाटी)

उपशासन सचिव (पथ)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है-

1. जिला कलक्टर नागौर
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पीपीपी सा.नि.वि. को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु
3. उपखण्ड अधिकारी लाडनू जिला नागौर
4. परियोजना निदेशक पीपीपी सा.नि.वि. लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
5. राक्षित पत्रावली


उपशासन सचिव (पथ)


Sumanta Kumar

EE-3
13/18

RU

EE/II
May please like in
see. 28/12/18

